भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *146
05 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना

***146. श्री दुष्यंत सिंह:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अविकसित और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों तथा देश में खाद्य की समग्र वृद्धि और विकास में इस योजना के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को, विशेषतः क्षमता विस्तार और नवाचार को प्रोत्साहित करने के मामले में, सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो उनके विकास और उन्हें विधिसंगत बनाए जाने पर इसके प्रभाव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रमुख सेगमेंट में, विशेषकर राजस्थान के झालावाड़-बारां और देश भर में खाद्य उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा दिए गए विशिष्ट प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विदेश में भारतीय खाद्य उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन को बढ़ाने और भारतीय खाद्य ब्रांडों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सहायता के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

दिनांक 05 दिसंबर,2024 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *146 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2021 को ₹10,900 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी थी, जिसे 2021-22 से 2026-27 तक लागू किया जाना है। इस योजना के तहत कुल 171 आवेदकों को नामांकित किया गया है। पीएलआईएसएफपीआई के तहत लाभार्थी चयन प्रक्रिया एक बार की प्रक्रिया के रूप में आयोजित की गई थी, जिसके पहले सक्रिय हितधारक जुड़ाव और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार किया गया था।

विनिर्माण प्रक्रिया में घरेलू रूप से उगाए गए कृषि उत्पादों (एडिटीवज, फ्लेवर्स और खाद्य तेलों को छोड़कर) के उपयोग को अनिवार्य करके, इस योजना ने स्थानीय कच्चे माल की खरीद में काफी वृद्धि की है, जिससे अविकसित और ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ हुआ है और साथ ही किसानों की आय में सहायता करती है। इसके अलावा, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए कच्चे माल के स्थानीय उत्पादन पर जोर देने से अतिरिक्त ऑफ-फार्म रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

इस योजना ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ाकर, मूल्य संवर्धन को बढ़ाकर, कच्चे माल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर और रोजगार के अवसर पैदा करके देश की समग्र वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह योजना बड़ी कंपनियों, मिलेट आधारित उत्पादों, नवीन और जैविक उत्पादों के साथ-साथ छोटे और मध्यम उद्यमों का समर्थन करती है, साथ ही वैश्विक स्तर पर भारतीय ब्रांडों को भी बढ़ावा देती है। योजना के लाभार्थियों द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, 213 स्थानों पर ₹8,910 करोड़ का निवेश किया गया है। 31 अक्टूबर 2024 तक, इस योजना ने जानकारी के अनुसार पर 2.89 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए हैं।

(ख): जी हां, सरकार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई), और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को सक्रिय रूप से समर्थन देती है। ये योजनाएं एसएमई को वित्तीय, तकनीकी और विपणन सहायता प्रदान करती हैं, क्षमता विस्तार, नवाचार और औपचारिकीकरण की सुविधा प्रदान करती हैं। एसएमई पीएमकेएसवाई योजना के विभिन्न घटकों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए भी पात्र हैं। पीएमएफएमई योजना विशेष रूप से असंगठित इकाइयों के औपचारिकीकरण को लक्षित करती है, संस्थागत ऋण, आधुनिक बुनियादी ढांचे और बढ़ी हुई खाद्य प्रसंस्करण क्षमता तक उनकी पहुंच में सुधार करती है। पीएलआई योजना के तहत, 70 एमएसएमई के सीधे नामांकन और अन्य का 40 बड़ी फर्मों के लिए अनुबंध निर्माता के रूप में योगदान के साथ लाभार्थियों का एक महत्वपूर्ण अनुपात एमएसएमई हैं। सामूहिक रूप से, इन पहलों ने नवाचार को बढ़ावा देकर, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके, बाजार पहुंच का विस्तार करके, रोजगार के अवसर पैदा करके और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में व्यापक मूल्य श्रृंखला का समर्थन करके एसएमई को मजबूत किया है।

(ग): मंत्रालय की पीएमकेएसवाई, पीएमएफएमई और पीएलआई योजना के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन **अनुबंध** में दिए गए हैं। उपर्युक्त योजनाएँ माँग आधारित हैं और इच्छुक लाभार्थियों को दिशा-निर्देशों के अनुसार योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना और अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है। इन योजनाओं के तहत प्रोत्साहन राजस्थान के झालावाड़-बारां क्षेत्र के आवेदकों सहित उन आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं, जो प्रत्येक योजना के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करते हैं।

(घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के तहत, सरकार विदेशों में भारतीय खाद्य ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, वैश्विक बाजारों में भारतीय ब्रांडेड उपभोक्ता खाद्य उत्पादों के लिए ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों का समर्थन करती है। लाभार्थियों को विदेश में ब्रांडिंग और विपणन पर उनके खर्च के 50% की प्रतिपूर्ति की जाती है, जो उनके वार्षिक खाद्य उत्पाद बिक्री के 3% या प्रति वर्ष ₹50 करोड़, जो भी कम हो, तक सीमित है । अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को पाँच वर्षों में न्यूनतम ₹5 करोड़ खर्च करने होंगे। वर्तमान में, पीएलआई योजना के इस घटक के तहत 73 लाभार्थी हैं।

*****

अनुबंध

दिनांक 05 दिसंबर,2024 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *146 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>पीएमकेएसवाई योजना के तहत सहायता का स्वरूप</u>

i. **एकीकृत कोल्ड चेन एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना** : सामान्य क्षेत्र में परियोजना के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से तथा कठिन क्षेत्र के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, जो प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये होगी। स्वीकृत अनुदान सहायता तीन बराबर किस्तों में जारी की जाती हैं।

ii. **कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन**: इस योजना में सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों में पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसकी अधिकतम सीमा 10.00 करोड़ रुपये होगी। स्वीकृत अनुदान सहायता तीन बराबर किस्तों में जारी की जाती है।

iii. **खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता का सृजन/विस्तार** : इस योजना में सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से तथा दुर्गम क्षेत्रों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ तथा स्वयं सहायता समूहों में पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसकी अधिकतम सीमा 5.00 करोड़ रुपये होगी। स्वीकृत अनुदान सहायता दो समान किस्तों में जारी की जाएगी।

iv. **खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना योजना** : सरकारी संगठनों के लिए अनुदान 100% है, निजी संगठनों के लिए सामान्य क्षेत्रों के लिए 50% तथा दुर्गम क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 70% है।

v. **ऑपरेशन ग्रीन्स योजना** : सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता और कठिन क्षेत्रों में परियोजनाओं के साथ-साथ एससी/एसटी, एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी। एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹15 करोड़ होगी; और स्टैंडअलोन पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी।

vi. **प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास योजना** : सरकारी संगठन के लिए अनुदान पात्र परियोजना लागत का 100% है और निजी संगठन के लिए यह सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 50% और कठिन क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 70% है।

पीएलआई योजना के तहत सहायता का स्वरूप

i. योजना के श्रेणी-I, श्रेणी-II और मिलेटआधारित उत्पाद घटकों के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष न्यूनतम वार्षिक बिक्री वृद्धि 10% प्राप्त करनी चाहिए। श्रेणी-I घटक के अंतर्गत, कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध निवेश करना होगा। यदि कोई कंपनी 2023-24 के अंत तक प्रतिबद्ध निवेश नहीं करती है, तो वह योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी।

ii. श्रेणी-III, अर्थात ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटक के अंतर्गत, कोई कंपनी विदेश में ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर किए गए व्यय के 50% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र है, जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के अधिकतम 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के अधीन है। पांच साल की अवधि में न्यूनतम व्यय 5 करोड़ रुपये होना चाहिए।

पीएमएफएमई योजना के तहत सहायता का स्वरूप:

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत उद्यमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

i. वैयक्तिकसमूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता: पात्र परियोजना लागत के 35/% की दर से क्रेडिटलिंक्ड पूंजी सब्सिडी-, अधिकतम सीमा लाख रुपये प्रति इकाई 10;

ii. स्वयं सहायता समूहों को प्रारम्भिक पूंजी के लिए सहायताकार्यशील पूंजी और छोटे औजारों : की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40, 000 रुपये की दर से प्रारम्भिक पूंजी, प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम लाख 4 रुपयेके अध्यधीन होगी।

iii. सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता: एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये के अध्यधीन होगी। सामान्य अवसंरचना की क्षमता का एक बड़ा भाग किराये के आधार पर उपयोग के लिए अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगा।

iv. ब्रांडिंग और विपणन सहायता: एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

v. क्षमता निर्माण: इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

*****